



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या:-704-अ0प्र0-07 / पा0का0लि0 / 2023-24-अ0प्र0-07 / 20

दिनांक 28/03/2023

सूचना

विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-01/विसेआ/2022/ए0ई0/ई0एण्डएम0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पदों पर चयनित किये गये निम्नांकित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके नियुक्ति पत्र (ऑफर लेटर) (इलेक्ट्रिकल हेतु 701-अ0प्र0-07/पाकालि/2023, दिनांक 28.03.2023, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली हेतु 702-अ0प्र0-07/पाकालि/2023, दिनांक 28.03.2023 एवं कम्प्यूटर साइंस हेतु 703-अ0प्र0-07/पाकालि/2023, दिनांक 28.03.2023) सम्बन्धित संलग्नकों सहित स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी तदनुसार आवश्यक सम्पूर्ण प्रपत्रों को ससमय तैयार कर, कक्ष सं0-613, शक्ति भवन (मु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ में **दिनांक 25 अप्रैल, 2023 को प्रातः 10:00 बजे** उपस्थित होना सुनिश्चित करें :-

इलेक्ट्रिकल				
41161170109	42161160374	41141140007	42191240132	41171200110
41131130602	42191240003	***	***	***
इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली				
21161160082	21131130753	***	***	***
कम्प्यूटर साइंस				
31121120145	31161160378	***	***	***

नोट :- उपरोक्त कार्यक्रमानुसार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा :-

1. अभ्यर्थीगण निर्धारित तिथि एवं समय पर मास्क पहनकर ही उपस्थित हो एवं अपने साथ वांछित मूल एवं छायाप्रति अभिलेखों के साथ प्रवेश करें।
2. अभ्यर्थियों से गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों (यथा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग) का पालन करना अपेक्षित है, तथा उनको आपस में मिलना जुलना एवं नजदीक नहीं बैठना है।
3. नियुक्ति पत्र में वर्णित समस्त मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः अभ्यर्थीगण समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रपत्रों के जाँच/सत्यापन हेतु उपस्थित हों।


(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)

**उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर
नियुक्ति की सेवा शर्तें।**

1 प्रशिक्षण एवं परीक्षा अवधि

आपको सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अग्रेतर 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जाएगा। इसमें 01 माह की अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा दिया जाएगा एवं 11 माह की अवधि तक ऑन जॉब ट्रेनिंग पर माना जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में प्रशिक्षण एवं परीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं। परन्तु आपवादिक स्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। यदि प्रशिक्षण अवधि या परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि आपने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आपकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

2 परिलब्धियां

परीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में आपको सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन लेवल-10 में न्यूनतम वेतन रू0 59,500/- अनुमन्य होगा। न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त आपको महंगाई भत्ता एवं कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3 कारपोरेशन में संविलीनीकरण

प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त सहायक अभियन्ता पद पर नियमित संवर्ग में नियुक्ति हेतु आपकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिये आपको निर्धारित संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यदि आप उपरोक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपका प्रशिक्षण अधिकतम दो वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जोकि आपके प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से आंकलित किया जायेगा एवं बढ़े हुए प्रशिक्षण की अवधि में आपको एक अवसर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रदान किया जायेगा परन्तु यदि आप द्वितीय परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी कारणवश द्वितीय परीक्षा में उपस्थित नहीं हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4 सेवा अनुबन्ध-पत्र

क- इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/- मूल्य के नान-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर कुल 03 वर्ष अथवा बढी अवधि (प्रशिक्षण एवं परीक्षा अवधि), का सेवा अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करना होगा। सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कुल 03 वर्ष अथवा बढी अवधि (प्रशिक्षण एवं परीक्षा अवधि), में कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक् रूप से रू0 2,00,000 की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगे। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हों, से प्राप्त हैसियत प्रमाण



भी आपको निष्पादित बन्ध पत्र के साथ कार्य ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों का बाण्ड मनी रू0 2,00,000 की धनराशि हेतु प्रतिभू (Guarantor), उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में, आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:-

ख - (1) यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है तो वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 2,00,000/- (दो लाख रुपये) की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) **उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में** बनवाकर कुल चार वर्षों की सेवा अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी होगी, के बाद अभ्यर्थी के हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5 **कार्य ग्रहण करने सम्बन्धी अन्य सामान्य निर्देश**

1. सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त होने पर कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर इस चयन में चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सेवा नियम, आदेश एवं विनियम आप पर लागू होंगे।
2. सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. आप राज्य में कहीं भी, जैसा कि सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर उपयुक्त समझा जाये एवं तय किया जाये, तैनात/स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।
4. आपकी नियुक्ति आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में आपकी नियुक्ति, प्रशिक्षण की अवधि अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय बिना कारण बताये हुये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।



बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

प्रतिभूति बन्ध:-

1. बन्ध पत्र रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए यदि रू0 100/- के स्टाम्प पेपर 1 पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में 2 या 3 (शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/- हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. अभ्यर्थी और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार की कांट-छांट, परिवर्तन अथवा पुर्नलेखन इत्यादि होने पर, प्रत्येक ऐसे स्थान पर अभ्यर्थी एवं प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख, उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक, जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी को ही स्वयं वहन करना होगा।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा अभ्यर्थी एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. अभ्यर्थी और प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए।
8. प्रतिभू उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 2,00,000/- (दो लाख रुपये) के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण हेतु बन्ध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त "ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र" जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए।
9. यदि प्रतिभू उत्तर प्रदेश में निवासित नहीं है तो वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 2,00,000/- (दो लाख रुपये) की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में कुल 04 (चार) वर्षों की सेवा अवधि के लिए जमा करने के बाद अभ्यर्थी को हैसियत प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही इस सम्बन्ध में शपथ-पत्र (संलग्न प्रारूप में) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Signature

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद् पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(क) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ।

भूमि सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है।			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है।			गृह संख्या	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उनके अर्जन का दिनांक	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है ?	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्र० सं०	ग्राम नगर उप नगर	जनपद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

टिप्पणी:-अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रबन्धित की गई समझी जाएगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं है। यदि एतदपश्चात् मैं कोई हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या जमा पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Shares) के स्वामी/स्वामिनी है या किसी अन्य जमा पूंजी (Investment) है।

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूंजी रखता/रखती हूँ :-

हिस्से (Shares)

क्र० सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

(3)

जमा पूंजी (Investment)

क्र.सं.	विवरण	पूंजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या अन्य कही पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

चल सम्पत्ति

(च) केवल उनके लिए जिनके पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है । यदि मैं एतदपश्चात् कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में घोषित करूंगा/करूंगी ।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ ।

क्रम संख्या	सम्पत्ति का विवरण	कय धारण करने की तिथि	मूल्य	क्या कय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई थी ? यदि हाँ तो उस अनुज्ञा की संख्या तथा दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य कर्मचारी के एक माह का वेतन, या उससे से अधिक है ।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक :

निष्ठा की शपथ

मैं एतद्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं कारपोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक लगाए रखूंगा तथा उसके कार्य-कलापों की पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना के प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री श्री
निवासी (पूरा पता)
..... एतद्वारा

घोषित करता हूँ कि :-

- (क) मैं न तो किसी ऐसे राजनीतिक दल/संस्था का सदस्य हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो,
- (ख) और ना ही किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा सम्बन्ध रखता हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हों,
- (ग) और ना ही भविष्य में उनसे कोई सम्बन्ध/मेल जोल अथवा सहानुभूति रखूंगा।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

परिशिष्ट "घ"

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत न होने की दशा में)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूँ। इस सूचना के मिथ्या पाये जाने पर मेरी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत होने की दशा में)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं के विभाग में सेवारत था। मैं अपने पूर्व नियोजक द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में सेवा आरम्भ करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया हूँ। कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा संलग्न है।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(अभ्यर्थी द्वारा रू0 100/-के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री/सुश्री पुत्र/पुत्री श्री अस्थायी सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0 दिनांक में वर्णित शर्तों के अधीन सेवा कर रहे हैं । (एतदपश्चात् "अभियन्ता" कहलायेंगे) एवं श्री पुत्र/पुत्री श्री निवासी (एतदपश्चात् "प्रतिभू" कहलायेंगे) एतद्वारा आबद्ध होते हैं कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतदपश्चात् "कारपोरेशन" कहलायेंगे) मांगे जाने पर रू0 200000/- (दो लाख रुपये) मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे ।

दिनांक मास वर्ष

हस्ताक्षरित

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रतिभू के हस्ताक्षर

यतः कारपोरेशन ने अभियन्ता को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार स्थायी अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया है ।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वासन करने के आशय से कि अभियन्ता स्वयं अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को, नियुक्ति के दिनांक से 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) तक नहीं छोड़ेगा। यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है, अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि अभियन्ता अपने 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा तब उस दशा में अभियन्ता और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर अविलम्ब बन्ध-पत्र में वर्णित धनराशि का भुगतान करेंगे तथा उसके (अभियन्ता) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, अभियन्ता की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

साक्षी:

- 1.
- 2.

हस्ताक्षरित

अभ्यर्थी
प्रतिभू

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री
 निवासी/ग्राम तहसील नगर
 जिला उत्तर प्रदेश राज्य की
 जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश
) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी
 गई है ।

श्री /श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा
 उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील
 नगर जिला
 में सामान्यता रहता है

स्थान:

दिनांक:

मुहर:

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम

पद नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी /

सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट /

तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट,

यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण

अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री
 निवासी/ग्राम तहसील नगर
 जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति
 के व्यक्ति है । यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
 जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (अधिनियम-1994) की अनुसूची -1
 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 उक्त अधिनियम-1994 को अनुसूची-2 से आच्छादित नहीं है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा परिवार उत्तर
 प्रदेश के ग्राम तहसील जिला
 में सामान्यता रहता है ।

स्थान:

दिनांक:

मुहर:

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद नाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/

तहसीलदार

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... निवासी ग्राम
पोस्ट तहसील जिला
..... राज्य एतद्वारा घोषित करता हूँ कि :-

(क) (1) मैं अविवाहित हूँ।

अथवा

(1) मैं विवाहित हूँ तथा मेरी/मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है। मेरी पत्नी/मेरे पति का नाम पुत्री/पुत्री श्री
ग्राम जिला राज्य है।

(2) मेरा अपनी पत्नी/मेरा अपने पति से तलाक नहीं हुआ है और न ही तलाक/सम्बन्ध-विच्छेद सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रक्रिया में है।

(3) यदि तलाक हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें।

(ख) कारपोरेशन में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कार्मिक से मेरा किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हैं तो पूर्ण विवरण दें।

सम्बन्धी अधिकारी/कार्मिक से सम्बन्ध एवं उनका नाम
पदनाम/पता

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001
फोन नं० 0522-2218421/0522-2218411

परिशिष्ट - 'झ'
(कुल 4 सेट में पूर्ण भरा जायेगा)

साक्ष्यांकन प्रपत्र

चेतावनी

- (1) इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को छिपाना किसी भी अभ्यर्थी को अनर्ह व उसे सेवायोजन दिए जाने के लिए अयोग्य कर सकता है।
- (2) इस प्रपत्र को भरकर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा दी गई हो या विवर्जित किया गया हो तो उसका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और इसका उल्लेख न करने की दशा में, इसे वास्तविक सूचना को छिपाना माना जाएगा।

फोटो

- 1 अनुक्रमांक: विधा
- 2 श्रेणी (UR/EWS/OBC/SC/ST)
- 3 (क) पूरा नाम (हिन्दी में) उपनाम (यदि कोई हो)
(ख) पूरा नाम (अंग्रेजी के Capital letter में)
- 4 पिता का पूरा नाम उपनाम (यदि कोई हो)
व्यवसाय वार्षिक आय
- माता का पूरा नाम उपनाम (यदि कोई हो)
- पत्नी/पति का पूरा नाम उपनाम (यदि कोई हो)
- 5 (क) लिंग (पु०/स्त्री) (ख) विवाहित/अविवाहित
- 6 (क) जाति (ख) उपजाति
- 7 (क) पिता की राष्ट्रियता (ख) माता की राष्ट्रियता
(ग) पत्नी की राष्ट्रियता (घ) पति की राष्ट्रियता

8 जन्म स्थान {स्वयं का}

पति/पत्नी का {यदि विवाहित हो} जन्म स्थान

9 (अ) गृह जनपद का नाम, जहाँ का रहने वाला/वाली हो

(ब) स्थाई निवास का पूरा पता :

	हिन्दी में	अंग्रेजी में (Capital Letter में)
मकान/गृह संख्या :		
गली/मोहल्ला :		
नगर/ग्राम :		
तहसील :		
डाकघर :		
जिला/राज्य :		
पिन कोड :		
थाना :		
जिला प्रमुख का पदनाम/पता :		
जिला पुलिस प्रमुख का पदनाम/पता :		

10 निवास प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम :पिन कोड

11 जाति प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम :पिन कोड

यदि मूल रूप में पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश के उसके सभी पते व भारत में आब्रजन की उसकी तिथि भी वार्णित की जानी चाहिए।

12 टेलीफोन/मोबाइल नं० :
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)

13 ई०मेल आई०डी० :
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)

14 पत्राचार का पूरा पता (यदि स्थाई पता पत्राचार का पता है तो इंगित करें):

.....

.....

15 पिछले पाँच वर्षों में पते :

क्र०सं०	दिनांक में	दिनांक तक	पता
1			
2			
3			
4			
5			

18 (क) जन्म तिथि (शब्दों/अंकों में) यदि अभ्यर्थी हाईस्कूल/समकक्ष पास है तो प्रमाण-पत्र अनुसार उसका उल्लेख करे :

.....

(ख) आयु : (दिनांक 01 जुलाई, 2021 को)

17 शैक्षिक अर्हतायें अभ्यर्थी ने हाईस्कूल/समकक्ष से जिन स्कूल या कालेजों में शिक्षा पाई हो उनका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित करें।

स्कूल/कालेज/ विश्वविद्यालय का नाम व पूरा पता	शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा जो उत्तीर्ण की	उत्तीर्ण करने का वर्ष

18 उस कार्यालय या फर्म का पूरा पता विवरण* व पता जहाँ अभ्यर्थी पहले कार्य कर चुका हो या कार्य कर रहा हो

पद का नाम व कार्य का विवरण	प्रवेश की तिथि		कार्यालय फर्म या संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा को छोड़ने का कारण
	दिनांक से	दिनांक तक		

* यदि उपरोक्त विवरण के लिये अधिक स्थान की आवश्यकता हो तो पृथक शीट संलग्न करें-

19 मोहल्ले के दो प्रतिष्ठित (जो सम्बन्धी न हों) व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हो :-

(1) नाम व्यवसाय

पता

(1) नाम व्यवसाय

पता

20 (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार, सजा, हवालात, परिबन्धित, अर्थदण्ड दिया गया है या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन में भाग लेने से विवर्जित/अनर्ह किया गया है या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से विवर्जित या रेस्ट्रिकेट किया गया हो।

(ख) क्या इस साक्षात्कन प्रपत्र को भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था के अधीन कोई मामला विचाराधीन है।

टिप्पणी :- (1) यदि उपरोक्त (क) या (ख) का उत्तर हाँ है तो इस प्रपत्र को भरते समय ऐसे मामले का पूरा विवरण गिरफ्तारी, हवालात, अर्थदण्ड, सजा इत्यादि व किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय/शैक्षिक अधिकारी के अधीन लम्बित मामले इत्यादि का पूरा विवरण दें।

(2) इस प्रपत्र के आरम्भ में दी गई चेतावनी को भी देखें।

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
मुझे किन्हीं भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जो कारपोरेशन के अधीन मेरे सेवायोजन में बाधक सिद्ध हो सकती है।

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम (पूरा).....

.....

CERTIFICATE No.

Date

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kumson/ wife/daughter of Shriage /sex.....identification mark (c)is suffering from permanent disability of following category:

- A. Locomotor or cerebral palsy :
- (i) BL-Both legs affected but not arms.
 - (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach.
 - (b) Weakness of grip.
 - (iii) BLA-Both legs and both arms affected.
 - (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach.
 - (b) Weakness of grip.
 - (c) Ataxic.
 - (v) OA-On arm affected
 - (a) Impaired reach.
 - (b) Weakness of grip.
 - (c) Ataxic.
 - (vi) BH-Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
 - (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.
- B. Blindness or Low Vision:
- (i) B-Blind.
 - (ii) PB-Partial Blind.
- C. Hearing impairment:
- (i) D-Deaf.
 - (ii) PD-Partial Blind.

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve Re-assessment of the case is not recommended/is recommended after a period of years months.*
3. Percentage of disability in his/her case is percent.
4. Sh./Smt/Kummeets the following physical requirement for discharge of his/her duties.
- (i) F-can perform work by manipulation with fingers. Yes/No.
 - (ii) PP-can perform work by pulling and punshing. Yes/No.
 - (iii) L-can perform work by lifting. Yes/No.
 - (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. Yes/No.
 - (v) B-can perform work by bending. Yes/No.
 - (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No.
 - (vii) ST-can perform work by standing. Yes/No.
 - (viii) W-can perform work by walking. Yes/No.
 - (ix) SE-I can perform work by seeing. Yes/No.
 - (x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No.
 - (xi) RW-can perform work by reading and writing. Yes/No.

(Dr)	(Dr)	(Dr)
Member	Member	Member
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent/CMO/Head of
Hospital (with seal)

*Strike out which is not applicable.

चेक लिस्ट

अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) -

पिता का नाम-

अनुक्रमांक -

गृह जनपद-

जन्म तिथि-

श्रेणी-

निम्नांकित प्रमाण-पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र का परीक्षण किया गया:-

- a. पहचान का प्रमाणपत्र (पैन कार्ड)
- b. पते का प्रमाणपत्र-यथा आधार/मतपत्र/पासपोर्ट अथवा अन्य समकक्ष
- c. मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों की प्रति
- d. पूर्व सेवायोजक से कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र (मूल रूप में जमा होगा)
- e. मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र (मूल रूप में जमा होगा)
- f. जाति प्रमाण पत्र **(मूल रूप में जमा होगा)**
- g. निवास प्रमाण पत्र **(मूल रूप में जमा होगा)**
- h. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यथा लागू)
- i. दिव्यांग/डी0 एफ0 एफ0 सम्बन्धी प्रमाणपत्र (यथा लागू)

2 घोषणा पत्र

- a. चल/अचल सम्पत्ति विवरण परिशिष्ट "क" प्रपत्र पर
- b. कारपोरेशन के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीयता सम्बन्धी घोषणा परिशिष्ट "ख" प्रपत्र पर
- c. राजनैतिक दलों से असम्बद्धता सम्बन्धी घोषणा पत्र परिशिष्ट "ग" प्रपत्र पर
- d. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान/उपक्रम में सेवारत न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट "घ" प्रपत्र पर
- e. साक्ष्यांकन प्रपत्र परिशिष्ट "झ" पर (4 प्रतियों में जमा होगा)
- f. एक से अधिक पत्नी जीवित न होने सम्बन्धी, कारपोरेशन में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने के सम्बन्ध में एवं आपके ऋण मुक्त होने सम्बन्धी अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट "य" पर

3 बन्ध पत्र

निष्पादित सेवा बन्ध पत्र एवं प्रतिभू हैसियत प्रमाण पत्र

अथवा

एफ0डी0 का विवरण एवं सम्बन्धित शपथ पत्र

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)-

मेरे द्वारा चेक किया गया

(जाँचकर्ता के हस्ताक्षर)

अभ्यर्थी का पूरा नाम-

मोबाईल नं0-

मेल आईडी0-

पता (पिन कोड सहित)-

नोट:-

1. सभी प्रपत्र व वांछित प्रमाण पत्र उपरोक्त क्रम में ही संकलित करते हुए चेक लिस्ट के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. शैक्षिक प्रमाणपत्र यथा -हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/बी0टेक (प्रत्येक वर्ष की)/अन्य के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

(एफ0डी0 हेतु शपथ पत्र का प्रारूप) (स्टैम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

1. विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-01-विसेआ/2022/AE/E&M द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)(विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर मेरा, (नाम)..... पुत्र/पुत्री श्री..... (अनुक्रमांक.....) चयन हुआ है।
2. मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ/नहीं हूँ। मेरा गृह जनपद..... एवं प्रदेश..... है।
3. सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु मेरा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिभू/हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है।
4. कार्यभार ग्रहण करने हेतु बॉण्ड मनी की धनराशि रूपया 2,00,000/- का सावधि जमा पत्र (एफ0डी0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में बन्धक के रूप में, कुल चार वर्षों के लिए जमा कर रहा हूँ।
5. यह एफ0डी0 मैंने (बैंक का नाम.....), शाखा..... जिला..... दिनांक..... को एफ0डी0 सं0..... बचत खाता सं0..... से निर्गत करायी है।